



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांक-1652-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024

दिनांक: 26/06/2024

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित अवर अभियन्ता को स्तम्भ-3 में अंकित उनके वर्तमान तैनाती इकाई से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित डिस्कॉम को आवंटित किया जाता है:-

क्र० सं०	अवर अभियन्ता का नाम/ /सैप आईडी/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति तिथि	वर्तमान तैनाती इकाई	स्थानान्तरण के पश्चात आवंटित डिस्कॉम	मन्तव्य
1	2	3	4	5
1	अतुल कुमार/17601694/ शाहजहापुर/28.02.2049	विद्युत वितरण खण्ड-नकुड़ अन्तर्गत प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ	स्वयं के अनुरोध पर

- उक्त तैनाती आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या-79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर 9(1) में निहित प्राविधानानुसार इकाई प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित अवर अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक-11/06/2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित इकाई प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से कारपोरेशन में विद्यमान स्थानान्तरण नीति के प्राविधानानुसार अवर अभियन्ता की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरण संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया का सम्पादन ई०आर०पी०/सैप के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए।
- स्वयं का अनुरोध होने के कारण उपरोक्त अवर अभियन्ता को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।

प्रबन्ध निदेशक
उ०प्र०पा०का०लि०

संख्या :1652-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-नकुड़।
- अधिशायी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- सम्बन्धित पदधारी/कट फाइल।

26/06/2024

(उमेश सिंह यादव)
अधि०अभि० एवं वैय० सहा० (षष्ठम)
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)